

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
25/18	212 RFA	मान्योली	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
सोहन प्रसाद शर्मा	बनाम	श्याम सुन्दर	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
11/6/18	<p>पत्नील शर्मा द्वारा एक शी.प्र.अन्तर्गत धारा-212.RFA के अन्तर्गत न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट का अवलोकन किया प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रार को सम्मन-11/11/18 पर तलब का आदेश दिनांक 27.6.18 को पेश हो।</p>	
27/6/18	<p>आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 25/7/18 को पेश हो।</p> <p>रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	
25/7/18	<p>आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 29/11/18 को पेश हो।</p> <p>रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	
25/8/19	<p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान P.O राहुव राजवर्ध से कहते पधार है पूर्ववत पत्रावली करते तलब दिनांक 15/04/19 को पेश हो।</p>	
15.4.19	<p>आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21.5.19 को पेश हो।</p> <p>रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	
25/6/19	<p>आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 26/6/19 को पेश हो।</p> <p>रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	



020
07/10/17

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

24

उत्तराखण्ड जमीन दफतरी अधिनियम 1951 के अन्तर्गत जमीन का पट्टा नंबर 023 R/ 5 धारा 151 CPC के अन्तर्गत है। स्वीकार किया जा चुका है जमीन का नया पट्टा नंबर दिया जा चुका है इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई किया जाना ब्रेक नहीं है। जमीन का जमीन पट्टा नंबर दिया जाता है। पट्टा नंबर नंबर 023 R/ 5 धारा 151 CPC के अन्तर्गत है।